भारत सरकार

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1744

जिसका उत्तर 13 दिसम्बर, 2023 को दिया जाना है ।

22 अग्रहायण, 1945 (शक)

डाटा संरक्षण अधिनियम के नियम

1744. श्री प्रद्युत बोरदोलोई:

क्या इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार डाटा संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत नियम बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) नियमों को तैयार करने में अपनाई जा रही सार्वजनिक परामर्श प्रक्रिया का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डाटा संरक्षण बोर्ड डीपीबी के संबंध में रूपरेखा तैयार कर ली गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने बोर्ड के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों का चयन कर लिया है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सरकार द्वारा डाटा संरक्षण बोर्ड (डीपीबी) का गठन कब तक किए जाने की संभावना है?

उत्तर

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) से (ड.): डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम, 2023 (डीपीडीपी अधिनियम) में डिजिटल व्यक्तिगत डेटा के प्रसंस्करण का इस तरह से प्रसंस्करण करने का प्रावधान किया गया है जो डेटा फिड्यूशरीज द्वारा वैध उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत डेटा को संसाधित करने की आवश्यकता को मान्यता देता है। इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ('एमईआईटीवाई') अधिनियम और भारतीय डेटा संरक्षण बोर्ड पर इनपुट लेने के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ परामर्श कर रहा है।

****